न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–105/2016/भीलवाड़ा (2016/00047)

1. सोकरण दत्तक पुत्र गोकल जाट, निवासी अखेपुरा, तह0 जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. छगना पुत्र श्रीकिशन,
2. मगना पुत्र श्रीकिशन,
   समस्त जाति जाट, निवासी अखेपुरा, तह0 जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 26.5.2016 अंतर्गत अपील संख्या 33/2015.

उपस्थितः–

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 4.6.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 26.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2011 एवं 8/2002 ग्राम पंचायत रोपा बनाम छगना, मगना में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीकिशन, गोकल एवं कल्याण तीना सगे भाई

थे । गोकल के कोई संतान नहीं होने से गोकल ने अपने जीवनकाल में अपने सगे भाई कल्याण के लड़के सोकरण को जाति रिवाजानुसार गोद लिया एवं गोकल की मृत्यु के पश्चात् गोकल के हक हिस्से की कृषि आराजियात पर बहैसियत गोदपुत्र काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । ग्राम पंचायत रोपा ने मिसल नंबर 7/2001 दर्ज कर मृतक गोकल की कृषि आराजियात का नामांतकरण खोले जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से दिनांक 5.2.2001 को पारित किया । प्रत्यर्थी छगना ने ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय को विवादित मानते हुए तहसीलदार, जहाजपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार, जहाजपुर ने मुकदमा नंबर 1/2001 व 8/2002 दर्ज कर दिनांक 30.5.2002 को ग्राम पंचायत रोपा के निर्णय को अपास्त कर मृतक गोकल की कृषि आराजियात का नामांतकरण विरासत से गोकल के भाई कल्याण व श्रीकिशन के वारिसों के नाम आधा–आधा दर्ज करने के आदेश व निर्णय प्रदान किया । तहसीलदार, जहाजपुर का निर्णय तथ्य एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 26.5.2016 द्वारा अपीलांट की अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट गोकल का दत्तक पुत्र है । गोकल का स्वर्गवास होने पर अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत रोपा के समक्ष गोकल की विरासत खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया था किन्तु रेस्पो0 ने आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर दोनों पक्षों को सुनकर, बयान, साक्ष्य व ग्रामवासियों के बयान लिये गये जिसमें सभी ने अपीलांट को गोकल का दत्तक पुत्र होना माना है तत्पश्चात् ग्राम पंचायत रोपा ने अपने निर्णय दिनांक 5.2.2001 द्वारा अपीलांट को मृतक गोकल का वारिस मानते हुए नामांतकरण खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की थी । रेस्पो0 द्वारा ग्राम पचांयत के निर्णय दिनांक 5.2.2001 के विरूद्ध कोई अपील नहीं किये जाने से उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है तथा आज भी प्रभाव में है तथा तहसीलदार, जहाजपुर को सुनने का अधिकार नहीं था इसके बावजूद तहसीलदार, जहाजपुर ने गोकल की विरासत श्रीकिशन व कल्याण के वारिसों में आधा–आधा हिस्सा करने में भारी भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने एक वाद अपीलांट व उसके अन्य भाई, जो कल्याण के पुत्र है, के विरूद्ध धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 का दिनांक 5.10.2001 को प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और स्वंय को गोद जाना बताकर रेस्पो0 का कोई हक व अधिकार नहीं

होना बताया है । उक्त वाद में दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गई तथा रेस्पो0 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त वाद दिनांक 5.9.2002 को खारिज किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों से परे जाकर हजारी की विरासत का नामांतकरण संख्या 328 में हजारी की पुत्री रामी का नाम दर्ज नहीं किया जाकर श्रीकिशन व कल्याण के नाम खोले जाने में त्रुटि कारित की है । गोकल के प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने की स्थिति में द्वितीय श्रेणी के वारिसान में सम्पति जाती है तथा रामी द्वितीय श्रेणी की वारिस है तथा रामी स्वंय ने अपने बयानों में अपीलांट को गोकल का वारिस होना बताया है परन्तु इसके बावजूद दोनों अधी0न्यायालयों ने विवादित आराजी को गलत रूप से आधा–आधा हिस्सा नामांतकरण रेस्पो0 के नाम खोले जाने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि गोकल के वारिस के लिये यह आवश्यक नहीं था कि कोई रजिस्टर्ड अथवा लिखित दस्तावेज हो । अपीलांट ने अपनी साक्ष्य से गोकल का गोद पुत्र होनासाबित किया है जिसमें बड़वा की पोती, बुआ के बयान एवं अन्य ग्रामवासियों के बयानात जिनमें यह बताया है कि अपीलांट ही गोकल का वारिस है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर दोनों अधी0न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जावे तथा ग्राम पंचायत, रोपा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.2.2001 की पालना में अपीलांट के नाम नामांतकरण पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें । xx

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 26.5.2016 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनाक 5.7.2016 को प्रस्तुत कर दिया था जिस पर नकल दिनांक 15.7.2016 को प्राप्त हो गयी । तत्पश्चात् बारिश होने के कारण प्रार्थी फसल बुआई के कार्य में व्यस्त होने से अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका । दिनांक 11.8..2016 को अजमेर आकर यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने गोदपुत्र की हैसियत से अपील प्रस्तुत की है किन्तु गोद के संबंध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । गोद जाने हेतु गोद देने एवं गोद लेने की सेरेमनी की शर्त के संबंध में भी अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जो कि आवश्यक है । अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि ग्राम पंचायत ने अपीलांट को गोद पुत्र माना है उचित नहीं है क्योंकि गोद पुत्र जैसे जटिल

बिन्दु के निर्धारण का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि अपीलांट ने तहसीलदार, जहाजपुर के निर्णय दिनांक 30.5.2002 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष अपील लगभग साढे तेरह वर्ष बाद प्रस्तुत की थी तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में भी विलंब के संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से गोदपुत्र साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि नामांतकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें गोद जैसे कानूनी बिन्दुओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने विरासत के आधार पर नामांतकरण पारित करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2012 पेज 765, आर0आर0डी0 2009 पेज 123, डी0एन0जे0 2014 सुप्रीमकोर्ट पेज 339, आर0आर0टी0 2016–17 पेज 158, डब्ल्यू0एल0सी0 सुप्रीम कोर्ट पेज 410, डब्ल्यू0एल0सी0 सुप्रीम कोर्ट सिविल 2002 पेज 369, डी0एन0जे0 राज0 2017 पेज 1794 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। xx

6- जवाब उल जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा ग्राम पंचायत, रोपा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध चाराजोही नहीं किये जाने से ग्राम पंचायत का आदेश आज भी प्रभावी है । रेस्पो0 द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध चाराजोही क्यों नहीं की गई इस संबंध में रेस्पो0 ने कोई कथन नहीं किया है । ।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । अपीलांट ने तहसीलदार, जहाजपुर के निर्णय 30.5.2002 के विरूद्ध दत्तक पुत्र की हैसियत से अपील प्रस्तुत की है किन्तु दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है । प्रकरण में जहां तक ग्राम पंचायत, रोपा द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.2.2001 द्वारा मृतक गोकल की आराजियात बाबत अपीलांट के नाम नामांतकरण खोले जाने के आदेश का प्रश्न है, हम रेस्पो0 संख्या 2 के इस कथन से सहमत है कि गोदपुत्र जैसे जटिल विषयों का निर्धारण ग्राम पंचायत एवं राजस्व न्यायालयों को नहीं है। इस संबंध में विद्वान रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2012 पेज 765 एवं आर0आर0डी0 2009 पेज 123 प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत, रोपा द्वारा अपीलांट को दत्तक पुत्र मानकर नामांतकरण खोले जाने के आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.2.2001 उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ से अवैध एवं शून्य होने से अपास्त किया जाता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि एक तरफ तो अपीलांट अपने आप को मृतक गोकल का दत्तक पुत्र बताता है एवं दूसरी

तरफ अपने असल पिता कल्याण की मृत्यु पर उसकी विरासत सोकरण के नाम दर्ज की गई है। हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है कि एक व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता है । तहसीलदार, जहाजपुर ने मृतक गोकल की आराजियात बाबत् विरासत के आधार पर नामांतकरण पारित करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 26.5.2016 एवं तहसीलदार, जहाजपुर का आदेश दिनांक 30.5.2002 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 105/2016 (2016/00047) बउनवानी सोकरण बनाम छगना को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 26.5.2016 एवं तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2001 एवं 8/2002 में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2002 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 4.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर